संख्या-817/2018/1309/22-2-2018-17(207)/2010

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 23 अक्टूबर, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यप्रकाश पुत्र श्री गंगा प्रसाद, निवासी जनपद-कासगंज वर्तमान जनपद-एटा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-09-07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 17-07-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सत्यप्रकाश पुत्र श्री गंगा प्रसाद, निवासी-हरनाथपुर, थाना-सोरों, जिला-कासगंज, वर्तमान पता-408 रानी अवन्तीबाई नगर शिकोहाबाद रोड जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06-08-1994 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर बन्दूक देशी तमंचा हैण्ड ग्रेनेड से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा अन्य 03 लोगों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/1995 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 307, 302/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 16.11.1995 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.1996 द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.01.2017 तक 21 वर्ष, 07 माह, 14 दिन की अपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **एटा** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06-08-1994 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर बन्दूक देशी तमंचा हैण्ड ग्रेनेड से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या करने व अन्य 03 लोगों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-62 वर्ष लगभग है**,** शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है**,** इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्यप्रकाश पुत्र श्री गंगा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सत्यप्रकाश (बन्दी संख्या-26593) पुत्र श्री गंगा प्रसाद, निवासी जनपद-कासगंज वर्तमान जनपद-एटा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति, सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-817/**2018/1309(1)/22-2-2018** तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-817/2018/1309/22-2-2018-17(207)/2010

दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यप्रकाश (बन्दी संख्या-26593) पुत्र श्री गंगा प्रसाद, निवासी-हरनाथपुर, थाना-सोरों, जिला-कासगंज, वर्तमान पता-408 रानी अवन्तीबाई नगर शिकोहाबाद रोड जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06-08-1994 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर बन्दूक देशी तमंचा हैण्ड ग्रेनेड से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा अन्य 03 लोगों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/1995 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 307, 302/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 16.11.1995 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.1996 द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.01.2017 तक 21 वर्ष, 07 माह, 14 दिन की अपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **एटा** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06-08-1994 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर बन्दूक देशी तमंचा हैण्ड ग्रेनेड से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या करने व अन्य 03 लोगों को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-62 वर्ष लगभग है**,** शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है**,** इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता**,** जघन्यता**,** दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने**,** जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्यप्रकाश पुत्र श्री गंगा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in